संख्या-18/3416/30-3-13-75बी/2000 टी0सी0(कम्प्यूटरीकरण)

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 29 नवम्बर, 2013

विषय- परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजनान्तर्गत परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन हेतु धनराशि रू0 71,58,460.00 अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-55(जी)कं0से0/2013-कं0से0(ए-2006)-वाल्यूम-09/2013, दिनॉक 30-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-2153/तीस-3-2013-75बी/2000टी0सी0 (कम्प्यूटरीकरण) दिनॉक 24-07-2013 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 60.88 लाख के अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था यू0पी0 डेस्को के बिलों की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु धनराशि रू0 71,58,460.00 (रू0 इकहत्तर लाख अठ्ठावन हजार चार सौ साठ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्योपरान्त प्रस्तुत किये गये बिलों के सत्यापन एवं कराये गये कार्य की सत्यता प्रमाणित करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-ई-9-490/दस-2013, दिनॉक 28 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/3416(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in